श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप मुख्यमंत्री

# बिहार सरकार
# पंचायती राज विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन 2023—24

## वार्षिक कार्यक्रम 2024—25

# प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत के संविधान में 'पंचायतों' से संबंधित भाग IX को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 'ग्यारहवीं अनुसूची' भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण सौंपे जाने से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसमें स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम–स्तर पर 'जिम्मेदार और संवेदनशील' नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहण कर सकें, इसके लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर न्याय पीठ के तौर पर ग्राम कचहरी का एक विशिष्ट पहलू है। ग्राम कचहरी द्वारा घर–समाज के झगड़ों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटान का प्रावधान है। ग्राम कचहरी द्वारा आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 142, 145, 147, 151, 153 आदि में भी सुनवाई करने का प्रावधान है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली निश्चय योजना/सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाओं आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बड़े पैमाने पर धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं की राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि सुगमतापूर्वक एवं त्वरित गति से हस्तांतरित की जा रही है।

2. 15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Budget 2024-25\Varshik prativedan all pdf\Varshik prativedan Panchayati Raj Department\2023-24\Varshik_Prativedan_2023-24.doc2

एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹3852.4114 करोड़ (अड़तीस अरब बावन करोड़ इकतालीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई गई है।

3. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए Health Sector Grant की कुल ₹4802.88 करोड़ (अड़तालीस अरब दो करोड़ अट्ठासी लाख रूपये) मात्र की राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। इस राशि से राज्य में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढाँचा को सुदृढ़ करना एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना है, ताकि वे किसी तरह की स्वास्थ्य आपदा यथा– कोविड–19 आदि की महामारी की स्थिति में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके।

4. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना की राशि को राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में वितरित किया जाना प्रावधानित है। पंचायती राज संस्थाओं को यह राशि विकास निधि (30%), अनुरक्षण निधि (20%) एवं समान्य निधि (20%) के रूप में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग राज्य स्कीम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, नागरिक सेवाओं यथा–पेयजल आपूर्त्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का संग्रहण व निपटान, स्ट्रीट लाईट, श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान का निर्माण, क्षमतावर्द्धन, स्थापना एवं प्रशासनिक मद, परिसम्पतियों के अनुरक्षण आदि मदों में किया जा सकेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य की कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1513 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में एक बड़ी बाधा ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में भूमि उपलब्ध नहीं होना रहा था। इस पर विचार करते हुए यह अनुमान्य किया गया है कि मुख्यालय गाँव में उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने पर ग्राम पंचायत के किसी

भी ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इस संशोधन से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। पंचायत सरकार भवन की सुरक्षा एवं साफ–सफाई हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

6. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। यह योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा ब्रेडा के तकनीकी मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। सोलर लाईट अधिष्ठापन के उपरान्त पाँच वर्षों तक इसके रख–रखाव का दायित्व कार्यकारी एजेंसी की होगी। ऊर्जा की बचत एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह योजना अत्यंत उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 एवं पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है।

इस योजना के कार्यान्वयन में व्यय होने वाली राशि में से 75 प्रतिशत धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से पंचायतों को प्राप्त होने वाली Untied अनुदान की राशि से व्यवस्था की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना/षष्ट्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जाना है। अबतक कुल 90749 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। इस योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

7. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गाँवों में बसावटों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया गया है। इस योजना के तहत कुल 1,14,507 वार्डों के बसावटों में गली एवं नाली का निर्माण किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त छुटे हुए बसावटों में गलियों का पक्कीकरण भी इस वर्ष पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है। घरों से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए नालियों में सोख्ता की व्यवस्था की गई है एवं ग्रामीण इलाकों में आवश्यकतानुसार जल भंडारण संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। गाँव की गलियों में पेभर ब्लॉक के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी 67,534 योजनाएं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है।

8. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई Tied Grant की राशि से कुल लक्षित 28376 अदद् सार्वजनिक कुँओं में से 23070 कुँओं का जीर्णोद्धार एवं 15553 सोख्ताओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

9. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर, 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied Grant के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ODF) Status के सतत् रख रखाव हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण में अभिसरण कर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

10. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के तहत सतत् विकास लक्ष्य, पंचायत विकास योजना e-Gramswaraj वित्तीय प्रबंधन आदि विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा ग्राम पंचायत के मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्याक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य तथा कर्मियों के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण दिया गया है। अबतक कुल 101993 जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस योजना से GPDP, BPDP, DPDP आदि पर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। National Skill Development Corporation Ltd. (NSDC) द्वारा लक्षित 9500 अनुरक्षकों को प्रशिक्षण किये जाने हेतु कार्य योजना अनुमोदित है, जिसके विरूद्ध अबतक कुल 3114 अनुरक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है। जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अबतक 14 जिलों में पंचायत संसाधन केन्द्रों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 24 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की गई है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। वर्त्तमान में कुल 533 प्रखण्डों में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 441 प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी पदस्थापित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त 21 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को संविदा पर नियोजन किया गया है तथा 87 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन करते हुए 361 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा, 2014 में चयनित कुल 3127 पंचायत सचिवों की अनुशंसा सभी जिलों को उपलब्ध करा

दी गयी है। विभागीय पत्रांक 8532 दिनांक 27.07.2023 द्वारा पंचायत सचिवों के रिक्त कुल 3532 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है।

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नवर्गीय लिपिक के 593, उच्च वर्गीय लिपिक के 42, प्रधान लिपिक के 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पद अर्थात कुल 675 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें से निम्नवर्गीय लिपिक के सीधी भर्त्ती हेतु स्वीकृत 504 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही उक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

12. बिहार पंचायत सेवा के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कुल रिक्त पद 38 के विरूद्ध 28 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

बिहार पंचायत सेवा के व्याख्याता के कुल रिक्त पद 104 के विरूद्ध 85 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

बिहार पंचायत सेवा के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल रिक्त पद 179 के विरूद्ध 30 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक के कुल रिक्त पद 09 के विरूद्ध 05 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के प्रधान लिपिक के कुल रिक्त पद 47 के विरूद्ध 03 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के उच्च वर्गीय लिपिक के कुल रिक्त पद 94 के विरूद्ध 04 पदों पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी पदभार दिया गया है।

13. राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रावैधिकी का विकास करने तथा ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक–एक कार्यपालक सहायक के पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की 8053 पंचायतों में कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत है। इन कार्यपालक सहायकों के माध्यम से पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण एवं ऑनलाईन प्रविष्टि में काफी सहूलियत हुई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के केन्द्रों का संचालन संभव हो पाया है। इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए अब प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे जन साधारण को काफी सहूलियत हुई है।

विभाग की योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई में (SPMU) में कुल 7 SQM कार्यरत हैं। साथ ही जिला स्तरीय प्रबंधन इकाई में (DPMU) में कुल 36 DQM कार्यरत है। SQM एवं DQM के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

राज्य सरकार ने चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक की व्यवस्था की है। वर्त्तमान में तकनीकी सहायकों के स्वीकृत कुल 2096 पदों में से 1548 पदों पर तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। इन सभी के पदस्थापन होने से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही योजनाओं का प्राक्कलन बनाने, तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी में गति आ गई है।

ग्राम पंचायत के लेखों के उचित रख–रखाव एवं अंकेक्षण की दुरूस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रत्येक पंचायत में कुल 8666 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1577 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक कार्यरत हैं। इससे पंचायतों के प्रशासन में काफी सहूलियत मिल पायी है।

14. सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें कर/फीस लगाने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापक कर सकेंगी।

वर्तमान में राज्य के जिला परिषदों में स्थित अभियंत्रण संवर्ग में तकनीकी पदाधिकारियों की संख्या की अत्यन्त कमी होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन एवं तकनीकी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण योजनाओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ''पंचायती राज अभियंत्रण संगठन'' गठित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

15. सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्र का निर्माण आदि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सतत् अनुश्रवण PRD NISCHAY SOFT APP के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण वार्डों तक चल रही योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त किया जा रहा है।

इसी क्रम में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सभी योजनाओं का भुगतान ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल के सहयोग से PFMS के REAT मॉडयूल के माध्यम से किया जाना है। श्रम, विक्रेता और ठेकेदार भुगतान को सक्षम करने के लिए ई–ग्राम पंचायत बिहार सॉफ्टवेयर को PFMS के REAT के मॉडयूल के साथ एकीकृत किया गया हैं। पंचायती राज संगठन के त्रिस्तरीय प्रणाली (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) के

लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग के सभी भुगतान PFMS सत्यापन के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से किए जायेंगे। इसके अलावा ऑडिट और उपयोगिता प्रमाण पत्र मॉडल को इस ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल पर भी एकीकृत किया जाएगा। ई–ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल का शुभारम्भ दिनांक 12.10.2023 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।

16. राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

**शुभकामनाओं सहित,**

(**सम्राट चौधरी**)
उप मुख्यमंत्री,
पंचायती राज विभाग।

# पंचायती राज विभाग, बिहार

# वार्षिक प्रतिवेदन

## सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 533 पंचायत समितियाँ, 8053 ग्राम पंचायतें एवं 8053 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 में ₹1105.0499 करोड़ (ग्यारह अरब पाँच करोड़ चार लाख निन्यानवें हजार रूपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में ₹9920.7922 करोड़ (निन्यानवें अरब बीस करोड़ उन्यासी लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

## 2. केन्द्रीय वित्त आयोग

### (क) 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए रिपोर्ट)

15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 13.09.2021, 5590 दिनांक 22.09.2021 एवं 15132 दिनांक 21.11.2023 द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्नरूपेण राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है:–

**राशि करोड़ में।**

| sr. | Grant for PRIs | | Financial Year | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Tied (60%) | Suply of drinking water, rain water harvesting & water recycling (30%). | 1112.70 | 1152.60 | 1165.20 | 1234.20 | 1203.60 | 5868.30 |
| | | Status & maintenance of Open Defacation Free (ODF)local body (30%). | 1112.70 | 1152.60 | 1165.20 | 1234.20 | 1203.60 | 5868.30 |
| | | **Total** | **2225.40** | **2305.20** | **2330.40** | **2468.40** | **2407.20** | **11736.60** |
| 2 | Untied (40%) | It is to be utilize at the discretion of the Panchayti Raj Institutions for improving basic services. | **1483.60** | **1536.80** | **1553.60** | **1645.60** | **1604.80** | **7824.40** |
| **Grand Total** | | | **3709.00** | **3842.00** | **3884.00** | **4114.00** | **4012.00** | **19561.00** |
| उपरोक्त Tied एवं Untied अनुदान दो–दो किस्तों में भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये जाने की अनुशंसा है। | | | | | | | | |

उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied एवं Untied के रूप में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹3852.4114 करोड़ रुपये मात्र की अनुदान राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹4114.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## (ख) 15वें वित्त आयोग (Health Sector Grant)

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Health Sector Grant के उपयोग से संबंधित Operational Guideline जारी किया गया है, जिसके अनुसार पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए कुल ₹48,02,88,00,000.00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठासी लाख रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण प्राप्त होना प्रस्तावित हैः–

(Amt In Crore)

| Sr. No. | Item | | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Total (2021-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities | Sub centres | 157.11 | 157.11 | 164.96 | 173.21 | 182.02 | 834.41 |
| | | PHCs | 172.79 | 172.79 | 181.42 | 190.50 | 200.22 | 917.72 |
| 2 | Block level public health units | | 49.47 | 49.47 | 51.94 | 54.54 | 57.27 | 262.69 |
| 3 | Building-less sub centres, PHCs, CHCs | | 329.29 | 329.29 | 345.60 | 363.00 | 381.10 | 1748.28 |
| 4 | Conversion of rural PHCs & sub centres into health & wellness centres | | 195.81 | 195.81 | 205.60 | 215.88 | 226.68 | 1039.78 |
| **Total Health Grants** | | | **904.47** | **904.47** | **949.52** | **997.13** | **1047.29** | **4802.88** |

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Health Sector Grant की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य से संबंधित निम्न कार्यों पर किया जाना है :–

a) Support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities.
b) Block level public health units.
c) Building-less Sub centres, PHCs, CHCs.
d) Conversion of Rural PHCs and Sub Centres into Health and Wellness Centre.

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹997.13 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(छ) में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया गया है। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। स्वशासी सरकार के रूप में पंचायतों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के उपेक्षित एवं सुविधाओं से वंचित आमजनों की पहचान कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा जाए और एक उत्तरदायी व्यवस्था कायम की जाए।

उपर्युक्त आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' की परिकल्पना को निहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ग्राम पंचायत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने एवं ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

## 4. प्रखण्ड पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजना (DPDP)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रखण्ड पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

## 5. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस संकल्प की कंडिका–06 में पंचायती राज संस्थाओं के बीच कुल हस्तांतरित की जानेवाली राशि का अंतर्विभाजन के संबंध में निदेश संसूचित किया गया है, जो निम्नवत हैं :–

i. वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों यथा–**जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण क्रमशः 15:15:70 के अनुपात** में किया जायेगा।

ii. पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित की जानेवाली कुल राशि तीन शीर्षों में अनुपातिक रूप से विभाजित किया जायेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| विकास निधि (Development Fund) | : | 30 प्रतिशत |
| अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) | : | 20 प्रतिशत |
| सामान्य निधि (General Fund) | : | 50 प्रतिशत |

पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास निधि (Development Fund)एवं अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप किया जायेगा। **सामान्य निधि का 50 प्रतिशत राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कर्णांकित होगा। शेष 50 प्रतिशत की राशि का उपयोग इन संस्थाओं द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया जायेगा।**

iii. पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के बीच राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक (Weightage)के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगा।

षष्टम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की कंडिका 8.29 में विकास निधि मद, 8.30 में अनुरक्षण मद तथा 8.31 में सामान्य निधि मद मे उपलब्ध कराये जाने वाली राशि के उपयोग के संबंध में दिशा–निर्देश अंकित है।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 479 दिनांक 15.01.2024 की कंडिका 4(क) के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान सामान्य निधि के स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल ₹4657.21 करोड़ रुपये मात्र तथा पूर्व वर्षों की बकाया देय कुल ₹3600.08 करोड़ रूपये मात्र की अनुदान राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल ₹4120.35 करोड़ मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 6. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के सभी 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत सरकार भवन का डिजाईन पूर्व से अनुमोदित है। इन भवनों का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इस भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त इसका उपयोग बाढ़ एवं आपदाओं में भी किया जा सकेगा। यह भवन दो–मंजिला है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में

जन–सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

राज्य की कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1513 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। **इसी क्रम में विभागीय संकल्प संख्या ................ दिनांक ............ द्वारा** राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 + सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की उपलब्धता षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए राज्य योजना मद से ₹636.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 7. सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीवद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 एवं पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित है। इस योजना के कार्यान्वयन में व्यय होने वाली राशि में से 75 प्रतिशत धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से पंचायतों को प्राप्त होने वाली Untied अनुदान की राशि से व्यवस्था की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना/षष्ट्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 202–23 में राज्य योजना मद से प्रत्येक पंचायत के 8 वार्डों में पूर्णरूप से सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कुल ₹370.65 करोड़ रूपये मात्र की राशि जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक पंचायत के अवशेष वार्डों में

आगामी वित्तीय वर्ष में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल ₹276.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 8. मुख्यमंत्री निश्चय योजना :

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों की सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली के पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएँ चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों, यथा :– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की भी व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जोड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। कुल 1,14,507 वार्डों के बसावटों में गली एवं नाली का निर्माण किया गया है। बचे हुए गलियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत सभी 67,534 योजनाएं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय (15वाँ) वित्त आयोग एवं राज्य (षष्ठम) वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि से की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹50.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

## 9. जल–जीवन–हरियाली अभियानः

इस योजना के तहत सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य किया जाना है। जल–जीवन हरियाली अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त Tied अनुदान की राशि से जीर्णोद्धार योग्य पाये गये 28376 अदद् सार्वजनिक कुँओं में से 23070 कुँओं का जीर्णोद्धार एवं 15553

सोख्ताओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के तहत किये गये कार्यों की प्रविष्टि जल–जीवन हरियाली पोर्टल पर की जा रही है।

## 10. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA):

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस योजना को पुनर्गठित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, मानव संसाधन, सूचना प्रौधोगिकी सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्द्धन, ई–गवर्नेंस ढांचा के विकास का आधुनिकीकरण आदि है।

इस योजना अंतर्गत के वार्षिक कार्य योजना के तहत् त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा कराया जाता है। इस योजना के तहत् LSDG, PDI, GPDP, BPDP, DPDP आदि पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है। वर्त्तमान में 06 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

इस योजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु 09 वषयों को धरातल स्तर पर प्राप्त करने के लिए पंचायतों की पूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका तय की गई है तथा क्षमतावर्द्धन इकाई अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित करने से संबंधित विषय पर राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों, निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, कर्मियों जीविका समूह के सदस्यों एवं लाईन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर LSDG, PDI, E-gram Swaraj, Tax & Audit एवं अन्य से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक लगभग 1,50,000 जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹62.00 करोड़ रूपये मात्र तथा राज्यांश के रूप में ₹15.50 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 11. पंचायत विकास सूचकांक (PDI) :

पंचायत विकास सूचकांक ग्राम पंचायतों के विकास की स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रदान करता है की सूचकांकों के संबंध में Baseline Report तैयार करने और विकास सूचकांक की समुचित गणना के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक तौर

पर मंत्रालय स्तर से सभी राज्यों के लिए समग्र रूप से 09 Themes अंतर्गत 144 स्थानीय लक्ष्यों तथा 688 डाटा बिंदुओं के आधार पर 577 स्थानीय संकेतक सुझाए गए थें। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय द्वारा किये गए बदलाव के बाद कुल संकेतकों (Mandatory) की संख्या 368 एवं Optional की संख्या 118 किया गया है जिसमें बिहार द्वारा कुल 369 संकेतकों (368 Mandatory + 1 Optional) अंतर्गत 485 डाटा पॉइंट्स (484 Mandatory + 1 Optional) को Configure एवं Save किया जा चुका है। जिसमें 137/134 डाटा पॉइंट्स API द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाने का प्रबंधन किया गया है।

पंचायत विकास सूचकांक (PDI) के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर Line Departments की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण है। इन संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का ग्रैडेशन भी किया जाना है। इस प्रकार यह सूचकांक भविष्य में ग्राम पंचयतों की विकासात्मक रैंकिंग का आधार बनेंगे।

**पंचायत विकास सूचकांक का महत्व :**

(i) जमीनी स्तर पर विकास की स्थिति और गति का आकलन।

(ii) पंचायतों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करना।

(iii) डाटा पर आधारित कार्य करने हेतु क्षेत्र की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायतों को सहभागितापूर्ण योजना निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दे कर पंचायतों को सशक्त बनाने में सहयोगी।

(iv) पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से लाईन विभागों के कार्यों की प्रगति एवं उनके संकेतकों को बेहतर बनाने हेतु योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोगी।

(v) पंचायत विकास सूचकांक के सफल प्रयोजन हेतु अंतर्विभागीय अभिसरण, एकीकरण एवं बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाने में उपयोगी।

(vi) Macro स्तर के (केंद्र या राज्य) दुर्लभ संसाधनों के आवंटन, कार्यक्रम हस्तक्षेप और नीतिगत निर्णय के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक क्षेत्र विशिष्ट और भूगोल विशिष्ट विश्वसनीय वित्तीय डेटाबेस और विकास प्रगति के माप/संकेतक का निर्माण।

(vii) पंचायतों और विभागों के बीच अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही।

(viii) Ranking & Grading के माध्यम से पंचायतों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।

(ix) विषयगत स्कोर (Score) एवं पूर्ण Composite स्कोर (Score) पंचायतों को आवश्यकता अनुसार विषयगत एवं पूर्ण रूप से पंचायत के सामर्थ एवं कमियों को रेखांकित करने में मदद करता है।

(x) पंचायत पुरस्कार का आकलन पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर किए जाना अधिसूचित है।

## 12. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) :

पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5749 दिनांक 24.09.2020 द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' को ''बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था'' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। संस्थागत अधोसंरचना इकाई के तहत राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। अबतक कुल 14 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसााधन केन्द्र हेतु भवन के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## 13. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण :

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा– केन्द्रीय (चौदहवाँ/पंचम) वित्त आयोग एवं राज्य (पंचम/षष्ठम) वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं, मुख्यमंत्री निश्चय योजना (ग्रामीण गली–नाली तथा पेयजल निश्चय योजना), मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन योजना आदि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9026 दिनांक 30.10.2017 एवं 4599 दिनांक 19.07.2019 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों के अधीन किया जा रहा था।

उक्त विभागीय संकल्प में संशोधनोंपरांत पुनः विभागीय संकल्प संख्या 9862 दिनांक 14.10.2022 द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, जो निम्नरूपेण हैंः–

| क्र० | पदाधिकारी का नाम | शक्ति स्वरूप | राशि सीमा |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला पदाधिकारी | प्रशासनिक | बीस करोड़ रू० तक |
| 2 | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् | प्रशासनिक | एक करोड़ रू० तक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति | प्रशासनिक | तीस लाख रू० तक |
| 4 | ग्राम पंचायत | प्रशासनिक | बीस लाख रू० तक |
| 5 | अधीक्षण अभियंता | तकनीकी | बीस करोड़ रू० तक |
| 6 | कार्यपालक अभियंता | तकनीकी | एक करोड़ रू० तक |
| 7 | सहायक अभियंता | तकनीकी | तीस लाख रू० तक |
| 8 | कनीय अभियंता / तकनीकी सहायक | तकनीकी | बीस लाख रू० तक |

अद्यतन संशोधनों के अनुरूप उप विकास आयुक्त के स्थान पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को एक करोड़ रूपये तक तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्थान पर कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को तीस लाख रूपये की वित्तीय अधिसीमा तक प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रत्यायोजित की गई है।

## 14. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ताः

संविधान संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप, ग्राम पंचायत के मुखिया / उप–मुखिया / वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच / उप–सरपंच / पंच के दायित्वों में वृद्धि हुई है।

बढ़ी हुई मँहगाई / मुद्रास्फीति को दृष्टिपथ में रखते हुए समीक्षोपरांत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय–8 की कंडिका– 8.31 (1) (ii) अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत के मुखिया / उप–मुखिया / वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच / उप–सरपंच / पंच को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से निम्नरूपेण वृद्धि की गई है :–

### सारणी

| क्र० | ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों का पदनाम | संख्या | वर्त्तमान नियत (मासिक) भत्ता | प्रस्तावित नियत (मासिक) भत्ता | प्रतिमाह व्यय भार (कॉलम–3×कॉलम–5) | वार्षिक व्यय भार (कॉलम–6 ×12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ग्राम पंचायत मुखिया | 8053 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 40,265,000.00 | **₹ 483,180,000.00** |
| 2 | ग्राम पंचायत उप–मुखिया | 8053 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 20,132,500.00 | **₹ 241,590,000.00** |
| 3 | ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) | 109321-8053=101268 | ₹ 500.00 | ₹ 800.00 | ₹ 81,014,400.00 | **₹ 972,172,800.00** |
| 4 | ग्राम कचहरी सरपंच | 8053 | ₹ 2,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 40,265,000.00 | **₹ 483,180,000.00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ग्राम कचहरी उप–सरपंच | 8053 | ₹ 1,200.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 20,132,500.00 | **₹ 241,590,000.00** |
| 6 | ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) | 109321-8053=101268 | ₹ 500.00 | ₹ 800.00 | ₹ 81,014,400.00 | **₹ 972,172,800.00** |
| | | **कुल** | | | **₹ 282,823,800.00** | **₹ 3,393,885,600.00** |
| **कुल वार्षिक व्यय : तीन अरब उनचालीस करोड़ अड़तीस लाख पिचासी हजार छह सौ रूपये मात्र** | | | | | | |

जिला परिषद् अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य एवं पंचायत समिति प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्यों का नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या 2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

## 15. ग्राम कचहरी :

वर्ष 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं तत्पश्चात् बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया, जिसके अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की अवधारणा है। बिहार राज्य ने एक कदम आगे बढ़कर अपने पंचायती राज अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायतों के साथ–साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम कचहरी के गठन से संबंधित प्रावधान कर ग्रामीण स्तर पर सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने तथा पंचों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के सहयोग से गाँव के छोटे–मोटे स्थानीय अधिकांश विवादों का निपटारा ग्राम कचहरी द्वारा किया जा रहा है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन ग्राम कचहरियों को कतिपय आपराधिक एवं सिविल मामलों में सुनवाई करने एवं निर्णय देने का अधिकार दिया गया है।

आपराधिक मामलों में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 106 के अन्तर्गत ग्राम कचहरियों को भारतीय दंड संहिता की कुल 40 जमानती धाराओं के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए विवाद सुनने एवं निर्णय देने की अधिकारिता प्राप्त है। सिविल अधिकारिता के अंतर्गत धारा 110 के अनुसार मामलों में सुनवाई करने के लिये ग्राम कचहरी सक्षम है। वर्ष 2021–22 से 2023–24 के बीच कुल 83657 दीवानी मुकदमों में से 69725 मुकदमों तथा 71160 फौजदारी मुकदमों में से 62111 मुकदमों का निष्पादन किया जा चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से ग्राम कचहरी में महिला पंचों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2006 में कुल पंचों एवं सरपंचों में महिला पंचों 46.99 प्रतिशत, जो बढ़कर वर्ष 2021 में 59.55 प्रतिशत हो गयी। इससे महिला के अधिकारों की सुरक्षा पंचायत स्तर पर सुदृढ़ हुई।

## 16. अंकेक्षण :

पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा का गठन किया जा चुका है। इस सेवा के अधीन 04 श्रेणीयों के पदों यथा अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षण अधिकारी, जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी का कुल 589 पदों का सृजन किया गया है। मूल कोटि के पद 373 के विरूद्ध 366 अंकेक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में कर ली गयी है। शेष पद वरीय अंकेक्षण अधिकारी, जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी का प्रोन्नति का पद है, जिसके लिए विभाग द्वारा संविदा नियोजन की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। उक्त के आलोक में अबतक 38 जिलों में योग्य सी०ए० फर्मों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अंकेक्षण कार्य जारी है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल ग्राम पंचायतों (8387 ग्रा०पं०) का 25% (2097 ग्रा०पं०) ग्राम पंचायतों का ऑडिट ऑनलाईन करने का लक्ष्य MoPR द्वारा निर्धारित किया गया था।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल 2136 (25 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का ऑडिट ऑनलाईन पोर्टल पर कराते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कर लक्ष्य प्राप्त किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 से शत–प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट ऑनलाईन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 99 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं 100 प्रतिशत जिला परिषद् का ऑडिट ऑनलाईन कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 99 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 100 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों 100 प्रतिशत का ऑडिट ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 77 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों 24 प्रतिशत का ऑडिट रिर्पोट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा 30.12.2023 तक शत–प्रतिशत ऑडिट ऑनलाईन पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे इस माह तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जायेगा।

## 17. नियमावलियों का गठन :

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xvii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

(xxiii) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxiv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvi) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2021

## 18. सूचना का अधिकार :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) **<u>विभाग (मुख्यालय) स्तर पर</u>** :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी

(ii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – संबंधित प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी

(2) **<u>जिला परिषद् स्तर पर</u>** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी प्रशासन–

सह–अपर मुख्य जिला परिषद् – निदेशक, लेखा कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार जिला परिषद् – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

**19. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 (मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक):**

| क्र० | आवेदनों का वर्गीकरण | प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या | कुल निष्पादित | शेष आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु | 1082 | 1082 | 0 |
| 2 | प्रथम अपील | 12 | 12 | 0 |
| 3 | द्वितीय अपील | 121 | 61 | 60 |
| 4 | अंतरण | 744 | 744 | 0 |
| 5 | निगेटिव | 338 | 338 | 0 |
| **कुल योग :–** | | 2295 | **2237** | **60** |

# परिशिष्ट–1

**राज्य – बिहार**
**विभाग – पंचायती राज विभाग**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला परिषदों की कुल संख्या | 38 |
| 2 | पंचायत समितियों की कुल संख्या | 533 |
| 3 | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | 8053 |
| 4 | ग्राम कचहरियों की कुल संख्या | 8053 |
| 5 | ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या | 109554 |
| 6 | ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या | 8053 |
| 7 | पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या | 11092 |
| 8 | जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या | 1159 |
| 9 | ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या | 109554 |
| 10 | ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या | 8053 |
| 11 | ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या | 6633 |
| 12 | ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या | 1420 |
| 13 | ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या | 5817 |
| 14 | ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या | 6637 |
| 15 | जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या | 38 |
| 16 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या | 441 |

# राज्य स्कीम

| क्र० | राज्य स्कीम का नाम | 2024–25 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)** | | |
| 1 | मुख्यमंत्री निश्चय योजना | ₹5000.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री निश्चय योजना–2 | ₹27600.00 |
| 3 | निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता | ₹0.08 |
| 4 | पंचायत सरकार भवनों के निर्माण | ₹63600.00 |
| 5 | पंचायत समिति सरकार भवनों के निर्माण | ₹0.01 |
| 6 | ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु | ₹0.01 |
| 7 | ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु | ₹800.00 |
| 8 | राज्य पंचायत संसाधन संस्था को अनुदान | ₹1000.01 |
| 9 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | ₹7750.00 |
| 10 | संविदा कर्मियों के मानदेय | ₹4154.88 |
| 11 | अनुग्रह अनुदान | ₹300.00 |
| 12 | प्रशिक्षण व्यय | ₹300.00 |
| 13 | **कुल (क्र०–1 से 12 तक)** | **₹110504.99 (ग्यारह अरब पाँच करोड़ चार लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र** |
| **मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)** | | |
| 14 | पंचायत सरकार भवन का निर्माण | ₹0.01 |
| 15 | **कुल (क्र०–14)** | **₹0.01 (एक हजार रुपये) मात्र** |
| **मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)** | | |
| 16 | विभाग का आधुनिकीकरण | ₹200.00 |
| 17 | **कुल (क्र०–16 का)** | ₹200.00 **(दो करोड़ रुपये) मात्र** |
| 18 | **सकल कुल (क्र०–13+15+17) :–** | **₹110705.00 (ग्यारह अरब सात करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र** |

## स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

| क्र० | मुख्य शीर्ष / कार्यक्रम | 2024–25 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम** | | |
| 1. | स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) | ₹ 66287.94 |
| 2. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Untied Grant) | ₹ 164560.00 |
| 3. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Tied Grant) | ₹ 246840.00 |
| 4. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Health Grant) | ₹ 99713.00 |
| 5. | राज्य वित्त आयोग (षष्ठम्) की अनुशंसा के आलोक में अंशदान | ₹ 412035.00 |
| **मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन** | | |
| 6. | स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग) | ₹ 531.91 |
| 7. | पंचायत निर्वाचन | ₹ 1700.00 |
| **मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ** | | |
| 8. | स्थापना | ₹ 411.37 |
| | **कुल :–** | **₹ 992079.22** |
| | | **निन्यानबें अरब बीस करोड़ उनासी लाख बाईस हजार रूपये मात्र** |

**वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)**

**₹110504.99 + ₹992079.22 = ₹1102584.21 लाख**

**(एक सौ दस अरब पच्चीस करोड़ चौरासी लाख इक्कीस हजार रूपये मात्र)**

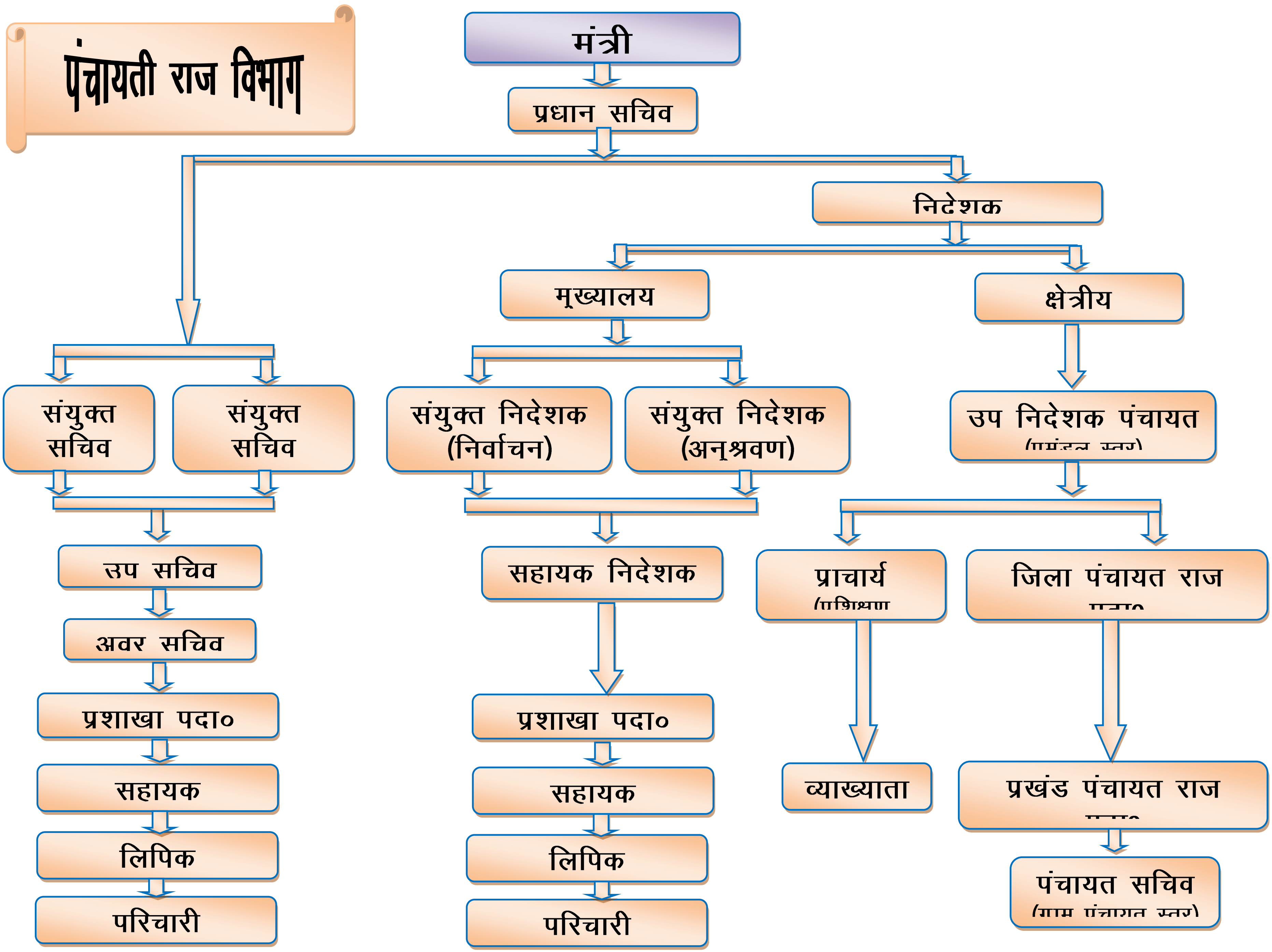
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
जिला पंचायत राज
व्याख्याता
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

## पंचायती राज विभाग

### पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

| क्र०सं० | पदनाम | स्वीकृत/सृजित पद | कार्यरत बल | रिक्ति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव | 01 | 01 | 00 | |
| 2. | सचिव | 00 | 01 | 00 | |
| 3. | निदेशक | 01 | 00 | 01 | |
| 4. | अपर सचिव/संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव | 01 | 01 | 00 | |
| 5. | संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव | 01 | 00 | 01 | |
| 6. | संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव | 01 | 00 | 01 | |
| 7. | उप सचिव | 02 | 01 | 01 | |
| 8. | अनुश्रवण पदाधिकारी | 01 | 01 | 00 | |
| 9. | सहायक निदेशक | 01 | 00 | 01 | |
| 10. | अवर सचिव | 02 (01–बि०स०से०, 01 बि०प्र०से०) | 01 | 01 | सचिवालय सेवा संवर्ग के एक अवर सचिव संविदा पर कार्यरत |
| 11. | उप राज्य आयोजक | 01 | 00 | 01 | |
| 12. | योजना पदाधिकारी | 01 | 00 | 01 | |
| 13. | वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर) | 01 | 00 | 01 | |
| 14. | शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ | 01 | 00 | 01 | |
| 15. | विशेष कार्य पदाधिकारी | 01 | 03 | 00 | |
| 16. | प्रशाखा पदाधिकारी | 11 | 06 | 05 | कुल 03 संविदा पर कार्यरत |
| 17. | सहायक | 44 | 13 | 31 | |
| 18. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 01 | 00 | 01 | |
| 19. | प्रधान आप्त सचिव | 01 | 00 | 01 | |
| 20. | आप्त सचिव | 01 | 02 | 00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | निजी सहायक | 02 | 00 | 02 | |
| 22. | आशुलिपिक | 02 | 02 | 00 | |
| 23. | सचिव के सचिव | 01 | 00 | 01 | |
| 24. | उच्च वर्गीय लिपिक | 08 | 02 | 06 | |
| 25. | निम्न वर्गीय लिपिक | 12 | 10 | 02 | |
| | | | 03 | | क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त |
| 26. | लेखापाल | 01 | 00 | 01 | |
| 27. | रोकड़पाल | 01 | 00 | 01 | प्रतिनियुक्ति पर एक निम्न वर्गीय लिपिक कार्यरत |
| 28. | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय) | 28 | 21 | 07 | |
| 29. | प्रधान अनुदेशक | 01 | 00 | 01 | |
| 30. | कलाकार–सह–संगणक | 01 | 00 | 01 | |
| 31. | वाद्य अनुदेशक | 01 | 00 | 01 | |
| 32. | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | 05 | 34 | | कुल 34 (आउटसोर्सिंग/बेल्ट्रॉन से संविदा पर कार्यरत) |
| 33. | चालक | 02 | 00 | 02 | |
| | | | 07 | | कुल 07 (आउटसोर्सिंग पर कार्यरत) |
| 34. | कोषागार संदेश वाहक | 01 | 00 | 01 | |
| 35. | कार्यालय परिचारी | 18 | 06 | 12 | कुल 01 संवदिा पर कार्यरत |
| 36. | आई०टी० ब्यॉय/गर्ल | - | 15 | | कुल 15 (आउटसोर्सिंग/बेल्ट्रॉन से संविदा पर कार्यरत) |

नोटः– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 05 (पाँच) पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 34 (चौतीस) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

# पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग